राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाषः 0141-2715551 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प / जय / यु.ओ.नोट / 2019-20 / 11333 दिनांक : 17/03/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
/अति. जिला परियोजन समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषयः मुख्यमंत्री विद्यादान कोष (डोनेट-टू-ए-स्कूल) के अंतर्गत विद्यालयों को प्राप्त राशि के उपयोग प्राप्ति के वित्तीय वर्ष में ही उपयोग सुनिश्चित करने के विषय में।

प्रसंगः राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.1(7) शिक्षा-1/2014, जयपुर दिनांक 11.07.2017 (ज्ञान संकल्प पोर्टल के होम पेज पर Documents शीर्षक के अंतर्गत Orders में उपलब्ध हैं)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित मुख्यमंत्री विद्यादान कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के (5) (VI) के अंतर्गत दानदाता को आयकर निर्धारण में नियमानुसार छूट प्राप्त होती हैं। आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त उक्त छूट में दान प्राप्त कर्ता द्वारा दान प्राप्ति के वित्तीय वर्ष में ही प्राप्त दान राशि का उपयोग (व्यय) किये जाने की शर्त भी निर्धारित है अन्यथा दान प्राप्तकर्ता पर आयकर लागू हो जाता हैं। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अंतर्गत ही दानदाताओं द्वारा निर्दिष्ट विद्यालय विशेष हेतु डोनेट-टू-ए-स्कूल विकल्प के अंतर्गत दान दिया जाता है। प्रसंगोल्लेखित पत्र में बिन्दू संख्या 4 (III) के अनुसार डोनेट-टू-ए-स्कूल में प्राप्त राशि के नियमानुसार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति उत्तरदायी है।

अतः आप अपने अधीन समस्त राजकीय विद्यालयों को निर्दिष्ट करें कि मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अंतर्गत डोनेट-टू-ए-स्कूल में प्राप्त राशि का उपयोग प्राप्ति के वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र अतिरिक्त जिला परियोजन समन्वयक कार्यालय के माध्यम से राज्य कार्यालय में सीएसआर अनुभाग में प्रेषित करें। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा उक्त कार्यालय में सीएसआर/ज्ञान संकल्प पोर्टल के प्रभारी अधिकारी जिले के समस्त विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यादान कोष (डोनेट-टू-ए-स्कूल) के अंतर्गत प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

समस्त प्रकार के व्यय प्रस्तावों की एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा संस्तुति आवश्यक रूप से ली जानी है। उसी के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। एसडीएमसी/एसएमसी बैंक खाते में मुख्यमंत्री विद्यादान कोष (डोनेट-टू-ए-स्कूल सहित) अंतर्गत आय व्यय का पृथक लेजर भी संधारित किया जाना हैं। विद्यालयों को उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत विद्यालयों को हस्तान्तरित की गई राशि विद्यालय के शाला दर्पण लॉगिन पर सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत उपलब्ध 'GSP Received Amount Updation लिंक द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

इस पत्र का प्रसार एवं पालना आपके जिले के प्रत्येक राजकीय विद्यालय में अविलम्ब करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17/3/20

www.rajteachers.com

(एम.आर. बागड़िया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त-प्रथम